न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 270 / 2022

1. श्योप्रकाश पुत्र जगदीशप्रसाद जाति ब्राम्हाण निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राम्हाण निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. भूपसिंह उर्फ भूपराम पुत्र गौरीशंकर जाति ब्राम्हाण निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—– प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1. भंवरी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

—– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत् पाईपलाईन स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता	—– प्रार्थीगण
2. श्री संदीप सैन अधिवक्ता	—– अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा	—– अप्रार्थी सं. 2

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पता उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार है। प्रार्थी सं. 1 श्योप्रकाश के नाम से चक 1 लाख आर.डी के प.नं. 32 / 350(24) किला नं. 1 / 1, ता 10, 11 / 1, 12 / 2, 13 / 1, 14 / 2, 15 / 3 की कुल 2.986 हैक्ट. कमाड मय खाला भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 1 लाख आर.डी. संवत् 2074 से 2077 संलग्न है।

प्रार्थी सं. 2 सुभाषचन्द्र के नाम से चक 1 लाख आर.डी. के प.न. 31 / 350(23) किला नं. 1 / 2 ता 9, 10 / 1, 11 / 4, 12 / 2, 13 / 2, 14 / 2, 15 / 4, 15 / 6 की कुल 3.100 हैक्ट. कमांड मय खाला भुमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक 1 लाख आर. डी. सं. 2074–2077 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी सं. 3 भुपसिंह के नाम से चक 1 लाख आर.डी. प.न. 1 लाख आर.डी. के प.न. 31 / 350 (23) किला नं. 11 / 3, 12 / 1, 13 / 1, 14 / 1, 15 / 3, 16 / 1, 16 / 2, 17 ता 25 / 2 की कुल 3.101 हैक्ट. कमांड मय खाला भुमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 1 लाख आर.डी. संम्वत 2074 से 2077 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.24 20:04:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी सं. 1 के पिता जगदीशप्रसाद, प्रार्थी स[illegible] व इनकी माता स्व. चन्द्रो देवी व बहन इन्द्रा देवी के नाम से चक [illegible] (29) किला नं. 5 ता 22 / 2 में कुल 4.300 हैक्ट. कमा[illegible] है। इस पत्थर की [illegible]मि प्रार्थी सं. 1 के पिता जगदीशप्रसाद की भूमि है। प्रमाणि[illegible] प्रतिलिपि जमाबंदी चक [illegible]टी. बी.(ए) सं. 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थिया सं. 1 भंवरी देवी के नाम से चक 1 लाख आर.डी के प.नं. 31 / 349(18) किला नं.1 / 1 से 25 की 6.200 हैक्ट. कमाड व अनकमाड भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 1 लाख आर.डी संवत् 2074 से 2077 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित चक 12 एस.टी.बी.(ए) की भूमि के किला नं. 5 व 16 में प्रार्थीगण द्वारा ट्यूबवेल (कुंआ) लगाया हुआ है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की दफा 2, 3, 4 व प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित भूमि के बीच में अप्रार्थिया की भूमि पड़ती है। प्रार्थीगण द्वारा चक 12 एस.टी.बी.(ए) के प.न. 31/348 के किला नं. 5 व 16 में स्थित ट्युबवेल से सिंचाई हेतु अपनी भूमि चक 1 लाख आर.डी. के प.नं. 31/350 व 32/350 की भूमि में सिंचाई हेतु सन् 2010 में पाईप लाईन बिछाई थी। यह पाईप लाईन चक 12 एस.टी.बी.(ए) के प.नं. 31/348 किला नं. 5, 6, 15, 16 तक 3 फुट गहरी 5 इंची पाईप लाईन डाली गई थी। इस प.नं. 16 में स्थित ट्यूबवेल से आगे प्रार्थीगण की चक 1 लाख आर.डी. की भूमि तक सिंचाई हेतु 5, 5 इंची की 2 पाईप लाईनें डाली हुई है, जो सन् 2010 से आज तक लगातार चालू है। यह पाईप लाईन अप्रार्थिया सं. 1 की भूमि चक 1 लाख आर.डी. के प.नं. 31/349 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में उत्तर से दक्षिण तक पत्थर लाईन से पश्चिम दिशा में लगभग 20 फुट दूरी पर इन 5 किलो में 3 फुट से अधिक गहरी 5, 5 इंची की 2 पाईप लाईने डाली हुई है। यह पाईप लाईन प्रार्थी सं. 1 की भूमि के किला नं. 1 में स्थित डेम में जाती है तथा प्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि के किला नं. 5, 6, 15 तक जाती है। जिस से प्रार्थीगण अपनी भूमि की सिंचाई करते है। नजरी नक्शा चक 12 एस.टी.बी.(ए) व चक 1 लाख आर.डी. संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी सं. 2 जो भू–धारक है। इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अप्रार्थिया सं. 1 की भूमि के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 12 वर्ष से अधिक समय से पाईप लाईन प्रार्थीगण द्वारा डाली गई है। यह पाईप लाईन अप्रार्थिया इनके परिवार के सदस्यों की सहमति से डाली गई थी। जो लगातार चालू है। परन्तु अब अप्रार्थिया इनके परिवार के सदस्य बिना किसी कारण के विवाद कर रहें है इस लिये प्रार्थीगण पाईप लाईन स्वीकृत करवाना चाहते है।

प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। जो उचित कोर्ट फीस पर
प्रस्तुत व अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थिया सं. 1 की भुमि चक 1 लाख आर.डी के प.नं. 31/349 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में उतर से दक्षिण तक, 31/349 की पत्थर लाईन से पश्चिम दिशा में लगभग 20 फुट दूरी पर इन 5 किलो में 3 फुट से अधिक गहरी 5, 5 इंची की 2 पाईप लाईने डाली हुई को स्वीकृत किया जावें।

तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2023/1222 दिनांक 20.02.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार उक्त प्रकरण रास्ते का न होकर ट्यूबवेल से पानी दूसरे खेत में ले जाने के लिए भूमि में डाली गई पाईपलाईन से संबंधित है जो निम्न प्रकार से है:– चक 12 एस.टी.बी.(ए) में जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति ब्राह्मण 1/2 हिस्सा भूपसिंह उर्फ भूपराम पुत्र गौरीशंकर ब्राह्मण 1/8 हिस्सा वगैरह के नाम प.नं. 31/348(29) के किला नं. 5 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर व किला नं. 15 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर ट्यूबवेल लगे है। किला नं. 5 व 15 में लगे ट्यूबवे[illegible] नं. 5, 6, 15, 16, 25 चक 1 लाख आर.डी. के प.नं. 31/349(18) के किला [illegible], 16, 25 में से होकर व प. नं. 31/350 के किला नं. 5 के उत्तरी [illegible]350(24) के किला नं. 1 में बने प्रार्थी श्योप्रकाश पुत्र जगदीश [illegible] गोलूवाला के पानी के डेम तक लगभग 3 फुट गहरी पाईपलाईन डाली गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.24 20:04:00 IST
Reason: SelfAttested

चक 1 लाख आर.डी. की प.नं. 31/349(18) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 भंवरी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन रामपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प.नं. 31/350(23) का किला नं. 5 भपसिंह उर्फ भूपराम पुत्र गौरीशंकर ब्राह्मण साकिन गोलूवाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। चक 12 एस.टी.बी.(ए) के प.नं. 31/348(29) के किला नं. 5, 6, 15, 16 इन्द्रा पुत्री

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

चक 1 लाख आर.डी. की प.नं. 31/349(18) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 भंवरी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन रामपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प.नं. 31/350(23) का किला नं. 5 भपसिंह उर्फ भूपराम पुत्र गौरीशंकर ब्राह्मण साकिन गोलूवाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। चक 12 एस.टी.बी.(ए) के प.नं. 31/348(29) के किला नं. 5, 6, 15, 16 इन्द्रा पुत्री गौरीशंकर 1/8 चन्दोदेवी पत्नी गौरीशंकर 1/8 जगदीश प्रसाद पुत्र सुरजाराम 1/2 हिस्सा भूपराम पुत्र गौरीशंकर 1/8 हिस्सा सुभाष पुत्र गौरीशंकर 1/8 हिस्सा जाति ब्राह्मण साकिन गोलूवाला सिहागान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व इसी प.नं. 31/348(29) का किला नं. 25 आराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। श्रीमान् जी प्रार्थी उक्त पाईपालाईन को स्वीकृत कराना चाहता है।

दिनांक 29.02.2024 को अप्रार्थिया सं. 1 भंवरी देवी ने जरिये अधिवक्ता श्री संदीप सैन स्वये हाजिर होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति व ऐतराज जाहिर नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र स्वीकर कर पाईपलाईन स्वीकृत कर दी जाती है तो मिकरा को आपत्ति नहीं है।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पाईपलाईन पहले से चल रही है व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति जाहिर न करने पर व धारा 251(क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा चाही गई पाईपलाईन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि अप्रार्थिया सं. 1 की भुमि चक 1 लाख आर.डी के प.नं. 31/349 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में उतर से दक्षिण तक, 31/349 की पत्थर लाईन से पश्चिम दिशा में लगभग 20 फुट दूरी पर इन 5 किलो में 3 फुट से अधिक गहरी 5, 5 इंची की 2 पाईप लाईने डाली हुई को स्वीकृत जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार पालना की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनाँक 15/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.24 20:04:00 IST
Reason: SelfAttested